न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या-61/2008

करणसिंह पुत्र उजीणासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बागास तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।

--अपीलान्ट---

--बनाम--

1- प्यारेलाल पुत्र लखुराम ⁞ जाति चमार निवासी ठेडी तहसील फतेहपुर
2- श्रीराम पुत्र लखुराम ⁞ जिला सीकर ।
3-चूनी धर्म पत्नी स्व0 लखुराम ⁞मृतक- नाम हजफ⁞
4-जोवराजसिंह पुत्र गुलसिंह
5-राजसिंह पुत्र गुलसिंह
6-विजयसिंह पुत्र गुलसिंह
7-कनकसिंह पुत्र गुलसिंह ⁞ जाति राजपूत निवासीगण
8-प्रेमकंवर पुत्र गुलसिंह ⁞ ग्राम ठेडी तहसील फतेहपुर
9-भगवतीसिंह⁞ पुत्रगण उजीणासिंह-मृतक- नाम हजफ ⁞जिला सीकर ।
10- रेवतसिंह⁞
11-सजना पुत्री उजीणासिंह
12रामचन्द्रसिंह पुत्र सुजनसिंह
13-सुलतानसिंह पुत्र सुजनसिंह
14-भंवरकंवर धर्मपत्नी स्व0 रतनसिंह
15-किसनसिंह पुत्र रतनसिंह ⁞ जाति राजपूत निवासी जुगलपुरा
16-खेतसिंह पुत्र रतनसिंह ⁞ तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।
17-नरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
18-तहसीलदार तहसील फतेहपुर प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राज0 सरकार ।

---रेस्पोडेन्टस---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 31-5-2008 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।
---0---

उपस्थिति-

1- श्री गंगाधर भूरिया एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री सोहनलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 5.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 ने अदालत मातहत में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बागास में आराजी खसरा नं0 27 रकबा में से 6.33 हैक्टर व ख0नं0 28 रकबा में से 1.81 हैक्टर भूमि 8.14 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार जिसका खाता वादीगण के नाम दर्ज है ।इस आराजी में प्रतिवादी सं0-1 से 15 का कोई हक हिस्सा नहीं है । किन्तु ये आपस में मिलकर वादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । अतः दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी-गण को उक्त आराजी में काश्त करने, उसकी लाट बाठ करने, उपयोग उपभोग में कोई बाधा ना करें ना ही वादीगण को जबरन बेदखल करें । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । तनकी संख्या-5 पूर्व वाद के चलते यह गलत वाद पेश किया है। जिसकी कार्य--वाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। यह तनकी अपीलान्टप्रतिवादी

के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को निर्णय व डिक्री के दिन लौटाकर पत्रावली पर कोई दस्तावेज माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने का कथन अंकित करके मनमर्जी से कानून की धज्जियां उडाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है ।प्रकरण से पूर्व प्रतिवादी सं0-6 ने एक दावा इस्तकरार हक इन्ही भूमियों के सम्बन्ध में पेश किया गया था जो आज भी लम्बित है जिसकी मु0नं0 39/2002 है तथा आगामी पेशी 10-7-2008 है । कानूनन जब एक प्रकरण में यदि पूर्व मे वाद लम्बित है तो द्वितीय वाद को स्टेड किया जाता है । इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है । विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा कभी नहीं रहा तथा न ही वे इस आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा ना ही वे हिस्सेदार है । तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 01-6-1963 के आधार पर खातेदारी में नाम गलत दर्ज होने को आधार मानकर निर्णय करने में कानूनी भूल की है । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन रहते हुये भी वादी/रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजी पर कब्जा मानकर निर्णय करने में घोर कानूनी भूल की है । दावा में वादी रेस्पोडेन्ट ने कहीं भी दर्ज नहीं किया है कि उक्त आराजी पर उनका कब्जा है ।अदालत मातहत ने गवाहन की साक्ष्य का गलत रूप से व्याख्यान कर अपना निर्णय दिया है ।अदालत मातहत की जानकारी में जब यह आ गया कि इस आराजी बाबत पूर्व में कोई प्रकरण चल रहा है तो दूसरे प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने प्रकरण में ऐसा न कर कानूनी भूल की है । अतः अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे । विवादित आराजी ख0नं0 27 व 28 में अपीलान्ट ने ढाणी बना रखी है जिसमें वह सपरिवार आबाद है। इस बिन्दू पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मु0 जयपुर में विचारा

-धीन अपील सं0- 10680/2002 डिक्री/39/2002 आगामी पेशी 10-7-08 के निर्णय तक उक्त प्रकरण के दावे को स्टेड रखे जाने के आदेश फरमावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 में आराजी ख0नं0 27, 28 कुल किता-2 रकबा 13.76 हैक्टर की खातेदारी जीवराजसिंह, राजूसिंह, विजयसिंह किनकासिंह पि0 गुलासिंह उगमा स्त्री गुलासिंह प्रेमकंवर पुत्री गुलासिंह करण सिंह रतनसिंह भगवन्तसिंह रेवन्तसिंह पुत्र उजीगसिंह सजना पुत्री उजीणसिंह, जीवसिंह पुत्र नत्थुसिंहख0नं0 27/1.11, ख0नं0 28/4.51 सा0ठेडी चूनी बेवा लाखू प्यारेलाल, श्रीराम पुत्र लेखू जाति चमार ख0नं0 27/6.33, ख0नं028/1.81 सा ठेडी के नाम दर्ज है । प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0 26, 27, 28, 33/1 कुल किता-4 रकबा 126 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी उजीणसिंह गुलसिंह, जीवणसिंह पि0 नत्थुसिंह राजपूत व लखुराम वल्द जालू राम चमार ख0नं0 27 ~~x~~ रकबा 25 बीघा, ख0नं0 28 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-3, 4, 5 से 12 का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं-2030 से 2033, 2034 से 2037, 2038 से 2041, 2043 से 2046 में रेस्पोडेन्ट संख्या- 1से 3 के पिता/पति लेखू चमार एवं प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2055 से 2058 में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 का नाम दर्ज है । तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण भी विवादित आराजी के सहखातेदार काश्तकार है । वादी ने अपना दावा बंटवारा का पेश किया है ।जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकीवाईज पारित करते हुये प्रकरण में तहसीलदार को मौके के बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है। जिस मे हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दि0 31-5-2008 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.12.2018 को सुनाया गया ।

5/12/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवर लाल मेहरडा RAS

करणसिंह पुत्र उजीणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कागास तहसील फतेहपुर जिला सीकर। - अपीलांट

— बनाम —

1- प्यारेलाल पुत्र लखुराम जाति चमार निवासी बेडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर। - रेस्पो०

नोट- फ्लवान संलग्न है

अपील नम्बर 61 सन् 2008 बनाराजगी डिक्री अदालत -

मुकाम - दिनांक 31 माह 5 सन् 2008

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 22-2-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री गंगाधर भूरिया .... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री सोहनलाल .... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-5-2008 यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ....x x........ रुपये अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ....x.....x........ रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 22-2-2018 को जारी की गई।

(मोहर: सीकर)

दस्तख्त भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
ओहदा - सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	